SHRI NIHAR RANJAN LASKAR: I introduce the Bill.

---

**14.39 hrs.**

## MATTERS UNDER RULE 377

### (i) Agitation over the excessive land held by Mahant of Bodh Gaya

**श्री राम विलास पासवान** :(हाजीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जितने जोर से हरिजनों, आदिवासियों एवम कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान की बात करती है, उन समुदायों पर उतने ही जोर से जुल्म और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इसका ज्वलंत उदाहरण बिहार के बोध गया महंत द्वारा प्रशासन की सांठ-गांठ से भूमिहीन हरिजनों पर जुल्म ढाना है ।

बिहार में बोध गया महंत के पास दस हजार एकड़ से अधिक फ़र्जी जमीन है, जिसे उक्त महंत ने ग़लत ढंग से अपने कब्जे में कर रखा है । जमीन को भूमिहीन हरिजन जाति आबाद करते है और फ़सल को महंत के लठैत काट कर ले जाते हैं । प्रतिरोध करने पर भूमिहीन हरिजनों की हत्यायें की जाती है । इस दमन चक्र के खिलाफ भूमिहीन हरिजन छात्र युवा सघर्ष वाहिनी के नेतृत्व में गत वर्ष से संघर्ष कर रहे है । पुलिस द्वारा अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहे आन्दोलनकारियों पर जुल्म किया जा रहा है । काफ़ी संख्या मे गिरफ्तारियां की जा रही हैं । महिलाओ को बुरी तरह पीटा जा रहा है । रात्रि मे पुलिस एवं गुन्डे हरिजन बस्ती मे जाकर भयभीत करते हैं तथा हरिजन आदिवासी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते है । गत वर्ष गोली चलाकर दो हरिजनो की हत्याये की गई । पूरे क्षेत्र में भय का साम्राज्य छाया हुआ है । गत साल सरकार ने महंत की जमीन के नेचर की जांच करवाई थी। रिपोर्ट बिहार सरकार के यहां लंबित है । अभी तक उसपर किसी तरह की कार्रवाही नहीं हुई है ।

बांध गया में जो प्रश्न उपस्थित हुआ है, वह न केवल दस हजार एकड जमीन पर भूमिहीन हरिजनो के अधिकार स्थापित करने का प्रश्न है, बल्कि उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न सरकार की नीति के कार्यान्वयन का है । जब तक सरकार की नीति और नीयत मे एकरूपता नहीं आयेगी, तब तक ग़रीबो का भला नही होगा । भूमि सुधार कानून के नाम पर एक व्यक्ति के पास हजारो एकड़ जमीन हो, यह कानून का खुला मजाक है ।

अत: सरकार से मांग है कि सरकार अविलम्ब भूमि सुधार कानून को सख्ती से लागू करवाये तथा बिहार के बोध गया महत की हजारो एकड़ नाजायज जमीन को हरिजन आदिवासियो के बीच वितरण करवाये तथा इन समुदायो को प्रशासन एवं पूजीपति को सांठ-गाठ से हो रहे जुल्म से मुक्त करे ।

### (ii) Locking up Kerala Chief Minister and Industries Minister in Kerala House, New Delhi

SHRI A. K. BALAN (Ottapalam): I would like to bring the serious attention of the House to the unprecedented and unfortunate incidents that happened in Kerala House, New Delhi on the 12th of November. I am referring to the vandalism of a group of a party workers who locked up the Kerala Chief Minister and the State Industries Minister in their Kerala House room, who were in the capital to attend the National Integration Council meeting. Though the officials of the Kerala House telephoned to the Police Station at least

15 times, no response was there in time. Then the people of Kerala House had to break open the doors to save them. The Deputy Police Commissioner who arrived at the scene after half-an-hour refused to arrest the culprits and demanded the Chief Minister to file a written complaint.

This incident proves beyond doubts the deteriorating law and order situation in the capital. The fact that the culprits of the murder case of Baba Gurbachan Singh have not been arrested so far substantiates this point further.

This shameful happening was raised in the National Integration Council meeting by the Chief Minister himself.

Now I want to know how many of the culprits are arrested so far and what actions are proposed to be taken against them. Though, according to the Rule 377, the Minister is not obliged to reply on this statement, I hope that considering the importance of this issue, the Minister will place the Government's observation on this matter.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, Sir...**

MR. DEPUTY-SPEAKER: It will not go on record. Mr. Virdhi Chander Jain... (*Interruptions*) You know the rules, Mr. Balan. If not please read the rules.

SHRI R. K. MHALGI (Thane): Sir, I am on a point of order. When we make statements under Rule 377 what fate do they meet?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please read the rules in this connection. Neither you nor I can act against the rules.

(iii) DRINKING WATER SUPPLY IN BARMER AND JAISALMER DISTRICTS OF RAJASTHAN

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाडमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 377 के अन्तर्गत में अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं :

भारत में 33 वर्ष की स्वतंत्रता के उपरान्त भी देश की जनता को शुद्ध पेय जल सुलभ नहीं हुआ है । राजस्थान प्रान्त में और विशेषत: बाड़मेर और जैसलमेर में जहां तीन वर्षों में से दो वर्ष अकाल पड़ते हैं वहां पीने के पानी की समस्या गंभीरतम है । उक्त दोनों जिलों में अधिकांश ग्रामों में तीन साल से लगातार सूखा है और कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें चार साल से अकाल के कारण जल समस्या ने गंभीरतम रूप धारण कर लिया है ।

गत साल प्रान्त के 33,305 गांवों में से 31,000 गांवों में अकाल था । राज्य के 804 गांवों में ट्रकों द्वारा टंकियों से और रेलवे टंकियों और मिलिटरी के द्वारा ट्रकों से पानी पहुंचाया जाता था । राज्य सरकार ने उक्त जिलों में कुछ गांवों में ट्रकों से टंकियों द्वारा पानी पहुंचाना शुरू कर दिया है । गत वर्ष पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 1/4 गैलन मिलता था ।

राजस्थान प्रान्त के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्रों के अधिकांश भाग में पानी की प्राप्ति के लिए 5 से 10 मील दूर जाना पड़ता है और वहां भी खारा पानी उपलब्ध होता है ।

**Not recorded.